



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 123 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:-07.12.2020
GCMS No.:-2020/00383

श्री शिव प्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा, वाया बस्सी तह. चित्तौड़गढ़
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 29.12.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 123/2020/(29.12)/738 दिनांक 07.12.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.12.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 29.12.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचनाएँ निःशुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 123/2020 (सू.अ.)
श्री शिव प्रकाश पुरोहित निवासी आवलहेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/528 दिनांक 16.12.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री शिव प्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आवलहेड़ा, वाया बस्सी, तहसील चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 01.10.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2617 दिनांक 07.10.2020 से अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित कर, प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी द्वारा पुनः इसी संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2020 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय को दिनांक 30.10.2020 को प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2617 दिनांक 05.11.2020 से अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखकर समसंख्यक पत्रांक द्वारा प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/528 दिनांक 16.12.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2617 दिनांक 07.10.2020 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से पंचायती राज विभाग से संबंधित सूचनाएँ/प्रमाणित प्रतियां चाही गईं जो कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 (3) के तहत निर्धारित अवधि में स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गयी थी। जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करें।



(कै. के. शर्मा)

लोक सूचना अपीलार्थी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 29/12/2020

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./123/2020(सू.अ.)/751

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री शिव प्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा, वाया बस्सी, तहसील चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)